बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना।

पत्रांकः– 650 पटना, दिनांक :–22/02/2012

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
टेक्नोलॉजी भवन, पटना–15.

सेवा में,

प्राचार्य,
नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13.

विषय :– खण्ड–2 (चार वर्षीय) अंशकालीन डिप्लोमा की पूरक परीक्षा 2010 कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक खण्ड–2 (चार वर्षीय) अंशकालीन डिप्लोमा की पूरक परीक्षा 2010 में सम्मिलित होने हेतु पर्षद द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में आवेदन भरवाकर नामों की सूची (अंग्रेजी में दो प्रति), निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र बीना विलम्ब शुल्क के दिनांक 26/02/012 तक पर्षद को प्राप्त करा दिया जाय। उक्त वांछित अभिलेखों एवं परीक्षा शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।

उपरोक्त परीक्षा में यदि कोई छात्र पूर्व में सम्मिलित नहीं हुए हों वैसे नियमित छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार पात्र छात्र जो सामयिक परीक्षा में विषयवार सम्मिलित हो चुके हैं एवं संबंधित सभी सात्रिक कोर्स पुरा कर लिए है तथा जिनका सात्रिक अंक चार्ट के अनुसार पात्रता हो, उन छात्रों से उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पर्षद द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में आवेदन भरवाकर नामों की सूची, निर्धारित परीक्षा शुल्क, संबंधित छात्रों के सामयिक एवं आंतरिक सात्रित प्राप्तांक के साथ पर्षद को नियत समय पर अग्रसारित किया जाय।

यदि कोई छात्र उपर्युक्त परीक्षा से पूर्व के परीक्षा में सम्मिलित हुए हो वैसे छात्र पूर्ववर्ती छात्र के रूप में संबंधित पूर्व परीक्षा के सामयिक एवं सात्रिक अंकों के साथ सामिल हो सकते हैं वशर्तें की ऐसे छात्र संबंधित पूर्व परीक्षा के सात्रित विषयों में उत्तीर्ण रहे हों।

(1) पर्षद के नियमानुसार जिन छात्रों का खण्ड–1 डिप्लोमा के कैरी क्लियर नहीं करने के कारण परीक्षाफल लंवित है, वे खण्ड–2 (चार वर्षीय) अंशकालीन डिप्लोमा की पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नही है। इस तरह के छात्रों से खण्ड–2 (चार वर्षीय) अंशकालीन डिप्लोमा की पूरक परीक्षा 2010 हेतु आवेदन पत्र नहीं भरवाया जाय। ऐसे छात्रों के आवेदन की जॉच की जिम्मेदारी संस्थान की होगी तथा उनके आवेदित राशि जब्त करते हुए पर्षद परीक्षाफल का प्रकाशन नहीं करेगी।

(2) परीक्षा शुल्क के रूप में 750/–(सात सौ पचास रूपये) प्रति छात्र वसूल कर सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र के साथ भेज दिया जाय। निर्धारित तिथि के बाद प्रति दिन 100/– (एक सौ रूपये) विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा आरंभ होने के सात दिन पूर्व तक आवदेन पत्र पर्षद में स्वीकार किया जायेगा। इसके वाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर पर्षद विचार नहीं करेगी।

(3) सभी छात्रों से आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र पर पर्षद क्रमांक अवश्य अंकित करा दिया जाय।

(4) सभी संबंधित छात्रों का एक–एक अद्यतन छायाचित्र (एक ही निगेटिव का) आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र पर चिपका दिया जाय जो केवल प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होगा। किसी पदाधिकारी को अधिकृत करने की स्थिति में अधिकृत पदाधिकारी का नाम एवं प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर का नमुना पर्षद को आवेदन पत्र के साथ अवश्य भेज दिया जाय। अभिप्रमाणित करने के क्रम में प्राचार्य/पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर आधा छायाचित्र तथा आधा आवेदन पत्र/प्रवेश पत्र पर होना चाहिए।

(5) उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों/छात्राओं का आवेदन पत्र पर्षद को अग्रसारित करने के पूर्व निम्नांकित तथ्यों को जॉच कर प्रमाण पत्र दिया जाय :–

(i) आवेदित छात्र/छात्राओं का नाम पिता का नाम, जन्म तिथि एवं फोटो मूल नामांकन अभिलेख एवं पर्षद द्वारा निर्गत निबंधन के अनुरूप है।

(ii) आवेदित छात्र/छात्राओं से प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि आवेदन पत्र के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट में सन्निहित है।

(iii) कैरी के छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र में भरा गया विषय संस्थानीय प्राप्तांक के अनुरूप है।

(iv) संबंधित छात्र/छात्राओं से एक हीं नम्बर का आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र भरवाया गया है।

त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण सूचना के साथ आवेदन पत्र पाये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।

अनुलग्नक :– आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र
एवं परीक्षा कार्यक्रम।

विश्वासभाजन,

परीक्षा नियंत्रक,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।